

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

L.D. Case No.- 144/2023

Pinki Devi & Anr. Appellants.

Versus

Chaitya Singh & Ors. Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date																
1	2	3	4																
	14.8.2025	आदेश यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा B.L.D.R. Case No.-101/2022-23 में दिनांक-02.6.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :- <table><tr><th>अंचल</th><th>मौजा/ थाना नं०</th><th>खाता</th><th>खेसरा</th><th>रकबा</th></tr><tr><td rowspan="4">आजमनगर</td><td rowspan="4">टेंगरी/433</td><td rowspan="4">30</td><td>154</td><td>01 डी०</td></tr><tr><td>155</td><td>19 डी०</td></tr><tr><td>156</td><td>12 डी०</td></tr><tr><td>157</td><td>26 डी०</td></tr></table> दिनांक-06.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि के अनुसार अपीलार्थी का यह दावा है कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा जमाबंदी रैयत प्रभाष चन्द्र मेहता वगैरह से प्रश्नगत जमीन का क्रय किया गया। इसके उपरान्त उनका जमाबंदी कायम हुआ तथा शांतिपूर्ण दखल-कब्जा रहा। तथा यह कि दिनांक-02.8.2022 से विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर अवैध दावा करते हुए विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादीगण को प्रश्नगत जमीन के विक्रेता (प्रभाष चन्द्र मेहता वगैरह) को उक्त जमीन खतियानी रैयत/जमाबंदी holder से कानूनन प्राप्त था तथा यह कि वर्ष-1980 से ही विक्रेता के नाम से जमाबंदी सं०-59 कायम था। अर्थात् अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय Legal Title/Right holder से किया गया है जो विधिमान्य है। सुनवाई में अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन को Negate करने हेतु विपक्षीगण द्वारा कोई संगत तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। वर्ष 2022 में बिना किसी Fresh Fact अथवा कानूनी आधार के विपक्षीगण द्वारा वादी के उपरोक्त प्रश्नगत जमीन के उपयोग/Usage में बाधा उत्पन्न करना विधि-विरुद्ध पाया जाता है। हांलाकि विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है किन्तु उनकी ओर से सुनवाई में प्रश्नगत जमीन पर अपने Title/Right के दावे के संदर्भ में कोई संगत कागजात अथवा Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। लगभग 40-45 साल के बाद उपरोक्त प्रश्नगत जमीन पर Title/Right का दावा बिना यथेष्ट साक्ष्य के करना विधिमान्य नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्ता, बारसोई) द्वारा B.L.D.R. Case No.-101/2022-23 में दिनांक-02.6.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए इस अपील वाद को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, आजमनगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण का प्रश्नगत जमीन पर विधिमान्य दखल कब्जा सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। Pink. 14/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। Pink. 14/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	अंचल	मौजा/ थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	आजमनगर	टेंगरी/433	30	154	01 डी०	155	19 डी०	156	12 डी०	157	26 डी०	
अंचल	मौजा/ थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा															
आजमनगर	टेंगरी/433	30	154	01 डी०															
			155	19 डी०															
			156	12 डी०															
			157	26 डी०															

